शिक्षक नियुक्ति में अधिकतम सात वर्ष की मिलेगी छूट

रांची. राज्य में इस वर्ष शुरू होनेवाले प्राथमिक व मध्य विद्यालय शिक्षक नियुक्ति में अभ्यर्थियों को निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा में सात वर्ष की छूट दी जायेगी. इसके अनुरूप अगर राज्य में सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए शिक्षक नियुक्ति में शामिल होने की अधिकतम उम्र सीमा 40 वर्ष है, तो इस नियुक्ति में सामान्य वर्ग के 47 वर्ष तक के अभ्यर्थी आवेदन जमा कर सकेंगे. इसी प्रकार अन्य वर्ग के अभ्यर्थियों को भी उम्र सीमा में छूट मिलेगी. राज्य गठन के बाद से ही झारखंड में शिक्षकों की नियमित नियुक्ति नहीं हो रही है. इसे देखते हुए स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने नियमावली में उम्र सीमा में छूट का प्रावधान कर दिया है. इसके अनुसार अब जितने वर्ष के बाद शिक्षक की नियुक्ति होगी, उम्र सीमा में उतने वर्ष की छूट मिलेगी.